झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–720/2019– 21/21-22 प्र०स्वी० /राँची, दिनांक 10.12.2021

प्रेषक,

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्षित

प्रशांत कुमार
सरकार सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **तेनुघाट बाँध के डैम टॉप रोड, डैम गैलरी एवं स्पीलवे का विद्युतीकरण तथा डैम गैलरी के जीर्णोद्धार कार्य हेतु रू० 251.39 लाख (रूपये दो करोड़ एकावन लाख उनचालीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के प्रक्षेत्राधीन बोकारो जिलान्तर्गत तेनुघाट बाँध के डैम टॉप रोड, डैम गैलरी एवं स्पीलवे का विद्युतीकरण तथा डैम गैलरी के जीर्णोद्धार कार्य हेतु रू० 251.39 लाख (रूपये दो करोड़ एकावन लाख उनचालीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस कार्य के प्राक्कलन में प्रावधान :–

(i) तेनुघाट बाँध के निर्माण के बाद विगत कई वर्षों में इसके विद्युतिकरण हेतु कोई कार्य नहीं किया गया है, जिसके कारण आज भी वर्षो पुराने जीर्ण–शीर्ण विद्युत के तार के द्वारा ही बाँध के गेटों का संचालन किया जा रहा है। विद्युत तार के Insulation के पूर्णतया समाप्त हो जाने के कारण सॉर्ट सर्किट बारम्बार होता रहता है, जिससे गेटों के संचालन में प्रयुक्त मशीन बार–बार खराब होते रहते है और उनकी मरम्मति कार्य में काफी व्यय होता है। साथ ही साथ मोटर/मशीन ऑपरेटरों को भी खतरा बना रहता है। इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु पूर्णतः Insulated कॉपर तार का प्रावधान है।

(ii) तेनुघाट बाँध में निरीक्षण गैलरी एवं Foundation Gallery में पूर्णतः Insulated कॉपर तार एवं Moisture Proof Lighting का कार्य।

(iii) गैलरी के सुरक्षा हेतु अलग–अलग स्थानों पर आग लगने की स्थिति से निपटने हेतु Smoke Alarms, Fire Alarms & Ceiling Speakers लगाने का कार्य।

(iv) डैम के गेटो के संचालन हेतु 10 HP के 10 (दस) मोटर एवं 75 HP के दो V.T. Pumps के लिए कॉपर केबल लगाने का कार्य।

E:\Note 5\VKumar\Sanlekh\Tenughat Electrification 21.07.2019.doc

(v) डैम गैलरी का Floor Tiles पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, जिसके पुनरूद्धार हेतु Industrial Floor Tiles लगाने का कार्य।

(vi) तेनुघाट बाँध के उपरी सड़क पर लाइटिंग नहीं रहने के कारण यह पूर्णतया अंधकारमय रहता है। इस हेतु टॉप रोड के चेन सं०–100.00 (कि०मी० 3.00) से लेकर 213.00 (कि०मी० 6.50) तक स्ट्रीट पोल के माध्यम से स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य।

(vii) डैम के स्पीलवे भाग में डैम के कंट्रोल रूम एवं कई गोदाम अवस्थित है, अंधकार रहने के कारण जिनमें आए दिन चोरी होती रहती है, जिनकी सुरक्षा हेतु एक अदद् मास्ट लाईट लगाने का कार्य।

4. कराये जाने वाले कार्य का अवयववार विवरण निम्नवत् है –

क्र०	अवयव	प्राक्कलित राशि
1	Electrification of Dam-top road of Tenughat Dam	11016118.00
2	Repair & maintenance work of Dam Gallery	107808.00
3	Electrification of Dam Gallery & over spillway	14014884.00
	Total :-	**25138810.00**
	Say :-	**Rs. 251.39 Lakh**

5. यह कार्य वर्ष 2021–22 में प्रारम्भ कर वर्ष 2022–23 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

6. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट होंगे।

7. प्रस्तावित कार्य के लिये राशि की निकासी तेनुघाट उप कोषागार, तेनुघाट, बोकारो से की जायेगी।

8. इस कार्य पर होने वाला व्यय–

मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप–. मुख्य शीर्ष 80 सामान्य लघु शीर्ष –001– निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 46– सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण, 45– निर्माण कार्य, के अन्तर्गत प्रावधानित बजटीय राशि के अधीन विकलनीय होगा।

9. जल संसाधन विभाग के लिये वर्ष 2021–22 के बजट में

(i) शीर्ष – 49S–4701–80–001–46–00–05–45 अन्तर्गत रू० 300.00 लाख का एकमुश्त प्रावधान है।

10. इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व मरम्मति/पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

11. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

12. प्रस्ताव पर सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

13. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायगा।

15. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेष से

09/12/21.

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–720/2019– 21/21-22 प्र०स्वी० /राँची, दिनांक 10.12.2021

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.12.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–720/2019– 21/21-22 प्र०स्वी० /राँची, दिनांक 10.12.2021

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, तेनुघाट उप कोषागार, तेनुघाट, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.12.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–720/2019– 21/21-22/प्र०स्वी० /राँची, दिनांक 10.12.2021

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, तेनुघाट बाँध अंचल, तेनुघाट/कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट/ई० सुरेश प्रसाद भगत, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.12.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–720/2019– 21/21-22/प्र०स्वी० /राँची, दिनांक 10.12.2021

प्रतिलिपि :– आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

10.12.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–720/2019– 21/21-22/प्र०स्वी० /राँची, दिनांक 10.12.2021

प्रतिलिपि :– मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

10.12.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव